WORTH-REPORTABLE

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टि.ए. / 5564 / 2012 / जयपुर

1. श्रीमती सुन्दरी बेवा स्व0 श्री श्रवण
2. जगदीश उर्फ भरोसी
3. रामजीलाल
4. प्रकाश
5. मुकेश

पुत्रान स्व0 श्रवण जाति मीणा, निवासी मथुरापोल दरवाजा, कस्बा आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।

—— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्रीमती कालीदेवी उर्फ श्रीमती लक्ष्मीदेवी धर्मपत्नी स्व0 श्री गोपाल लाल, जाति मीणा निवासी मथुरापोल दरवाजा के पास, ठाठर कॉलोनी, कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
   - 1.1 कैलाश
   - 1.2 जगदीश

   पुत्रान स्व0 गोपाललाल जाति मीणा, नि0 मथुरापोल दरवाजा के पास,ठाठर कॉलोनी, आमेर, जिला जयपुर
2. हरि पुत्र कल्याण
3. राजेश पुत्र कल्याण
4. गोविन्द राम पुत्र कानाराम
5. राजेश
6. भैर्या
7. श्याम

   पुत्रान श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीणा, निवासी कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर।

—— **अप्रार्थीगण**

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :–
(1) श्री प्रेम प्रकाश , अभिभाषक प्रार्थीगण ।
(2) श्री विजय कुमार शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक : 18 जून, 2014

हस्तगत निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) के अन्तर्गत विद्वान उप खण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 145 / 2008 उन्वानी श्रीमती काली उर्फ लक्ष्मीदेवी बनाम श्रीमती सुन्दरी देवी में पारित आदेश दिनांक 17–2–2009 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।

2— निगरानी के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीया—अप्रार्थी संख्या 2 ने उप खण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर के न्यायालय में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र आराजीयात स्थित कस्बा आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नम्बर 1487 लगायत 1491 किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा नवीन खसरा नम्बरान 4103 लगायत 4106, 4108, 4109, 4161 व 4104/8969 कुल किता 8 कुल रकबा 1.40 है0 के सम्बन्ध में मृतक गोपाल लाल की भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण संख्या 1 त 5 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर प्राथमिक आपत्तियां पेश कीं कि प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में इसी न्यायालय से निर्णय व डिक्री दिनांक 9—4—2008 को पारित हो चुका है, अतः उसी तथ्य हेतु पुनः दावा चलने योग्य नहीं है। वादिया द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया आदेश 1 नियम 10, जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र भी न्यायालय ने दिनांक 25—2—2008 को निरस्त कर दिया है, जो अंतिम हो चुका है। मृतक गोपाल पुत्र पांचू के अन्य उत्तराधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। गोपाल पुत्र पांचूराम का प्रश्नगत आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है। नारायण पुत्र काना के फौत होने पर फर्जी नामांतरकरण संख्या 89 दिनांक 18—12—1960 को गोपाल पुत्र नारायण के नाम अंकित किया गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अतः दावा प्रथम दृष्ट्या ही खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 17—2—20090 से प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किये गये प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को खारिज किया, जिससे व्यथित हो कर मूल वाद के प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि विचारण न्यायालय में काली द्वारा दावा पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति पेश की गई थीं। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर ही इसी आराजी के सम्बन्ध में वादपत्र संख्या 143/2007 दिनांक 9—4—2008 को तय हो चुका है जिसमें अंकित किया है कि गोपाल नारायण का पुत्र नहीं है। इस आदेश में गोपाल का नाम राजस्व अभिलेखों से निरस्त करने व श्रवण के वारिसान के पक्ष में अंकन करने के आदेश दिये गये हैं। वादिया द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10, जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र भी न्यायालय ने दिनांक 25—2—2008 को निरस्त किया है। उक्त आदेश की अपील वादिया कालीदेवी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में पेश की गई थी जो भी दिनांक 5—8—2010 को खारिज की गई। आदेश दिनांक 9—4—2008 के खिलाफ सिविल कोर्ट में कार्यवाही लंबित है।

5— योग्य अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि पक्षकारान मीणा जाति से हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान मीणा जाति पर लागू नहीं होते हैं और मीणा जाति में महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। योग्य अभिभाषक ने बहस में आगे निवेदन किया कि दिनांक 4—12—2003 को काली देवी ने प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में अपने सम्पूर्ण अधिकारों का त्याग जरिये पंजीबद्ध त्याग पत्र अपने पुत्रों/भाई कैलाश व जगदीश के पक्ष में कर दिया था और यह हक त्याग उप पंजीयक, आमेर के

समक्ष पंजीबद्ध कराया गया है। अतः जब वादिया द्वारा अपने सम्पूर्ण हकों का त्याग कर दिया गया है तो उसे दावा लाने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है। प्रंश्नगत भूमि नारायण के पट्टेदारी–खातेदारी की स्व–अर्जित भूमि रही है, जिसका एक मात्र वारिस उसका पुत्र श्रवण रहा है परन्तु विरासत के नामांतरकरण में श्रवण के साथ गोपाल के नाम का अंकन गलत प्रकार से किया गया है। विचारण न्यायालय ने प्राथमिक आपत्तियों को सरसरी नजर से देखते हुये नॉन स्पीकिंग व नॉन–रीजण्ड निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अवैधानिक होने से मण्डल को अधिनियम की धारा 230 के तहत प्राप्त अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये निगरानी स्वीकार करते हुये आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाये।

6– अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट रुप से सजरा प्रस्तुत किया गया था। वादिया मृतक गोपाल की वारिस है और आराजी गोपाल लाल की खातेदारी में होने से वादिया के पक्ष में घोषणा की डिक्री किया जाना कानून सम्मत है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता को जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह चलने योग्य नहीं है। योग्य अभिभाषक ने 2011 डब्ल्यू. एल.सी.(4) (राज. उच्च न्यायालय) पेज 531 के विधिक दृष्टान्त का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर तथ्य सम्बन्धी विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं किया जा सकता है, वादपत्र में लिये गये कथन ही संगत होंगे। अतः प्रार्थना पत्र के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। इसी बिन्दु पर योग्य अभिभाषक ने 2009 आर.बी.जे. (16) (राज. उच्च न्यायालय) पेज 310 का अवलोकन कराते हुये कथन किया कि आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के स्तर पर न्यायालय को वादपत्र को देखना होता है, प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेजात को नहीं। यदि प्रस्तुत किया गया वादपत्र कानूनी प्रावधानों के तहत चलने योग्य नहीं रहा हो तो सम्बन्धित न्यायालय का दायित्व है कि वह उस वादपत्र को स्वयं ही निरस्त कर दे, इसके लिये आर्डर 7 नियम 11 के तहत सम्बन्धित पक्षकारान को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहती है।

7– योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया कि वादपत्र संख्या 143 / 2007 में वादिया पक्षकार नहीं रही है, जिससे प्रस्तुत वर्तमान वाद पर रैस्जुडिकेटा लागू नहीं होता है। इस बिन्दु को मूल वाद में बहस के समय प्रतिवादी उठा सकते थे, पृथक से आदेश 7 नियम 11 के तहत इस बिन्दु पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। 2014 आर.आर.टी. (1) पेज 202, 2009 आर.बी.जे. (16) पेज 819 के विधिक दृष्टान्तों को प्रस्तुत करते हुये योग्य अभिभाषक ने कथन किया कि रैस्जुडिकेटा का प्रश्न तथ्यों और विधि का मिश्रित प्रश्न है और साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना निर्णित नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में वादपत्र का साक्ष्य व शहादत के आधार पर अभी निस्तारण होना शेष है, जो कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय के स्तर पर अभी लंबित है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैधानिक प्रावधानों के अनुरुप निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से मण्डल के स्तर पर हस्तगत निगरानी के माध्यम से आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेपित उचित नहीं है, अतः निगरानी खारिज की जावे।

8— हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध वादपत्र, प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी व अन्य सुसंगत विधि का अध्ययन किया।

9— पत्रावली के आध्योपान्त तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट है कि वादिया / हस्तगत निगरानी की अप्रार्थीया संख्या–1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु वादपत्र दिनांक 4–6–2008 को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी पक्ष द्वारा जबाबदावा पेश नहीं कर दिनांक 16–6–2008 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की हैं, जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 17–2–2009 पारित किया है। हस्तगत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया गया है, अतः आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी पर एक दृष्टि डालना उचित होगा, जो कि निम्न प्रकार है :–

> Rejection of plaint— The plaint shall be rejected in the following cases:—
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
>
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is returned upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law :
>
> (e) Where it is not filled in duplicate.
>
> (f) Where the plaintiff fails to comply with the provisions of rule 9
>
> Provided that the time fixed by the Court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp-paper shall not be extended unless the Court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature form correcting the valuation or supplying the requisite stamp-paper , as the case may be, within the time fixed by the Court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार क– वाद हेतुक प्रकट नहीं करने, ख– अनुतोष का मूल्यांकन कम करने, ग–अपर्याप्त स्टाम्प पर वादपत्र लिखा गया हो, घ–वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, ड– वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना तथा, च– नियम 9 की अनुपालना नहीं करने की स्थिति में आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्र को खारिज किया जा सकता है।

10– प्रतिवादी / प्रार्थी पक्ष द्वारा जो प्रारम्भिक आपत्तियां पेश की गई हैं उनमें प्रमुखतः आपत्तियां ये रही हैं कि पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर ही इसी आराजी के सम्बन्ध में वादपत्र संख्या 143 / 2007 दिनांक 9–4–2008 को तय हो चुका है, अतः नया दावा नहीं लाया जा सकता है। पक्षकारान मीणा जाति से हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान मीणा जाति पर लागू नहीं होते हैं और मीणा जाति में महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं होता है, प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 इनका खारिज हो चुका है, गोपाल पुत्र पांचू के अन्य वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

11– प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा रैस्जुडिकेटा के आधार पर जो आपत्ति प्रस्तुत की है तो यह मान्य सिद्धान्त है कि रैस्जुडिकेटा का प्रश्न तथ्यों एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है और माननीय मण्डल की खण्डपीठ ने 2014 आर.आर.टी. (1) पेज 202 तथा 2009 आर.बी.जे. (16) पेज 819 में स्पष्ट रुप से मत प्रतिपादित किया है कि रैस्जुडिकेटा का प्रश्न तथ्यों और विधि का मिश्रित प्रश्न है और साक्ष्य लेखबद्ध किये बिना निर्णित नहीं किया जा सकता है। केवल वादपत्र में कथित तथ्यों पर ही वादपत्र खारिज करने हेतु विचार किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में वाद को विधि द्वारा वार्जित नहीं माना गया है। प्रत्यर्थी द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थनापत्र में उक्त के अलावा जो अन्य आपत्तियां उठाई गई हैं वे वादपत्र से सम्बन्धित हैं और वाद में विधिवत रुप से जबाबदावा आने के उपरान्त साक्ष्य व शहादत व तनकियात कायम करने के उपरान्त ही इन बिन्दुओं को तय किया जा सकता है, गुणावगुण से सम्बन्धित होने से प्राथमिक आपत्तियों मात्र के आधार पर इन बिन्दुओं को तय नहीं किया जा सकता है । स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रकरण को निस्तारण करने के लिये मात्र वादपत्र के अभिकथनों को देखा जाना होता है।

12– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने गोविन्द नारायण बनाम श्री बाहेती धर्मशाला व अन्य जो 2011 डब्ल्यू. एल.सी.(4) (राज. उच्च न्यायालय) पेज 531 पर प्रकाशित हुआ है, में पैरा संख्या–9 में व्यवस्था पारित की है जो कि निम्न प्रकार से है –

> *Thus from a bare persual of the language of Rule 32 of General Rules (Civil), 1986 and Rule 11 of Order 7 CPC, it is found that the court has to see as to whether plaint disclose any cause of action; it is sufficiently stamped ; and has been presented within time prescribed for the institution of such a suit. If the plaint does not constituted a cause of action or it is insufficiently stamped or it is barred by law, then in that case, on the basis of report of*

the Munsrim or Reader, as the case may be, the Court shall reject the plaint invoking the powers under Rule 11 of Order 7 CPC. The Court is not required to pass an order under Order 7 Rule 11 CPC at the behest of the defendant when an application is filled under this provision by the defendant in this regard. The power to attract the provisions of Order 7 Rule 11 CPC is not conferred on the party to the suit. On the contrary, it is bounden duty of every Court to obtain the report of the Munsrim or Reader of the Court, as the case may be, and thereafter if the contents of the plaint constitute a cause of action; it is sufficiently stamped and it is not barred by law, the court shall oreder to register the plaint and if it does not disclose any cause of action or it is insufficiently stamped or it is barred by law, then without there being any prayer of the defendant, the Court is duty bound to reject the palint suo-moto. Thus, the power to attract the provisions of Order 7 Rule 11 CPC is not conferred on the party, but it is conferred on the Court and it is the Court alone, which can exercise the powers to rejct the plaint under Order 7 Rule 11 CPC. If viewed from this angle, it can safely be inferred that the petitioner-defendant has no right to file the application under Order 7 Rule 11 CPC imploring the Court to reject the plaint and the application was not maintainable.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त मत से भी स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में आने की स्थिति में सम्बन्धित न्यायालय स्वतः ही वादपत्र को निरस्त कर सकते हैं और इसके लिये सम्बन्धित पक्षकार द्वारा पृथक से आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त मत के अनुसार इसे सम्बन्धित न्यायालय का यह बाध्यकारी दायित्व भी बताया गया है।

13— उपरोक्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष द्वारा आदेश 7 नियम 11, जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये गये हैं वे स्वीकार योग्य नहीं है और इन आधारों पर प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संक्षिप्ति आदेश पारित करते हुये इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया है किन्तु इसमें निकाला गया निष्कर्ष अनुचित नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के स्तर पर पारित निर्णय में किसी प्रकार की क्षेत्राधिकार सम्बन्धी या तथ्यात्मक त्रुटि होने पर, न्यायालय द्वारा उसे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करने पर ही अधिनियम की धारा 230 के तहत मण्डल को उक्त निर्णय में हस्तक्षेप करने की अन्तनिर्हित शक्तियां प्राप्त हैं किन्तु आक्षेपित निर्णय में इस प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। अतः धारा 230 की शक्तियों के तहत निगरानी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना वांछित व न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

14— उपरोक्त विधिक स्थिति को देखते हुये हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, आमेर, जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17—2—2009 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी. एल. नवल)
सदस्य